



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01122022-240718
CG-DL-E-01122022-240718

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5343]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 2022/ अग्रहायण 10, 1944

No. 5343]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 2022/AGRAHAYANA 10, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5575(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4282(ए) दिनांक 13.09.2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के मोरबी जिले में NH-151A के कि.मी. 0.0 से कि.मी. 242.9 (द्वारका- खंभालीया-देवरीया & धोल-आमरण-माळीया) सेक्शन तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "22.09.2022 " को "संदेश" और "ध टाइम्स ओफ इन्डिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेपों प्राप्त नहीं हुए हैं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के मोरबी जिले में NH-151A के कि.मी. 0.0 से कि.मी.242.9 द्वारका- खंभालीया-देवरीया & ध्रोल-आमरण-ँभाळीया) सेक्शन के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: मोरबी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मोरबी					
गांव का नाम: आमरण					
1	403/2/P2	निजी	कृषी	0.0237	रमणीक हरखा ()
2	408/P1/P2	निजी	कृषी	0.3567	महेशभाई अवचारभाई जानवा ()
3	410/P2	निजी	कृषी	0.0263	पोपट कचरा कासुंद्रा ()
4	749/P	सरकारी	गौचर	0.2123	गौचर आमरण ग्राम पंचायत ()
5	vokda	सरकारी	खराबो	0.1156	सरकारी ()
गांव का नाम: हाजनली					
6	233/P	सरकारी	खराबो	0.2237	सरकारी ()
गांव का नाम: खरचलय					
7	172	निजी	कृषी	0.0035	वालजीभाई करसनभाई ()
8	178/P2	निजी	कृषी	0.5168	अमृतलाल सावजीभाई सेरसिया ()

	गांव का नाम: मोड़पर				
9	140/P1	निजी	कृषी	0.1015	जमुबेन सावजीभाई ()
10	140/P2	निजी	कृषी	0.0809	कांतिलाल सवजीभाई ()
11	140/P3	निजी	कृषी	0.0738	दामजीभाई सवजीभाई ()
12	741/p1	सरकारी	खराबो	0.2287	सरकारी ()
13	90/P1/P2	निजी	कृषी	0.0014	कांतिलाल अवचारभाई दावा ()
	गांव का नाम: पिपलिया				
14	129/P1	निजी	कृषी	0.0362	वसंत नानजीभाई ()
15	130/P	निजी	बिनकृषी	0.1496	प्रमोदचंद जेठालाल सेता आदि ()
16	146/P3	निजी	कृषी	0.0069	राजेशभाई महादेवभाई ()
			कुल	2.1576	

[फा. सं. NHAI/11011/Gujarat/Devbhumi Dwarka/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2022

S.O. 5575(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, s.o. no. 4282(E) dated 13.09.2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH151A on the stretch of land from Km 0 to Km 242.9 Dwarka-Khambhaliya-Devariya & Dhrol-Amran-Madiya Road section in the district of MORBI in the state of GUJARAT

And whereas the substance of the said notification has been published in “Sandesh” and “The Times of India” both dated 22.09.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH151A in the stretch of land from Km. 0 to Km. 242.9 A Dwarka-Khambhaliya-Devariya & Dhrol-Amran-Madiya Road section in the district of MORBI in the state of GUJARAT.

State: GUJARAT		District: MORBI			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Morvi				
	Village: Amran				
1	403/2/P2	Private	Agriculture	0.0237	Ramnik Harkha
2	408/P1/P2	Private	Agriculture	0.3567	Mahesbhai Avcharbhai Janva
3	410/P2	Private	Agriculture	0.0263	Popat Kachra kasundra
4	749/P	Government	gauchar	0.2123	Gauchar Amran Gram panchayat
5	vokda	Government	kharabo	0.1156	Government
	Village: Hajnali				
6	233/P	Government	kharabo	0.2237	Government
	Village: Kharachlya				
7	172	Private	Agriculture	0.0035	Valjibhai karsanbhai
8	178/P2	Private	Agriculture	0.5168	Amrutlal Savjibhai Serasiya
	Village: Modpar				
9	140/P1	Private	Agriculture	0.1015	Jamuben Savjibhai
10	140/P2	Private	Agriculture	0.0809	Kantilal Savjibhai
11	140/P3	Private	Agriculture	0.0738	Damjibhai Savjibhai
12	741/p1	Government	kharabo	0.2287	Government
13	90/P1/P2	Private	Agriculture	0.0014	Kantilal avacharbhai dava
	Village: Pipaliya				
14	129/P1	Private	Agriculture	0.0362	Vasant Nanjibhai
15	130/P	Private	non agriculture	0.1496	Pramodchand Jethalal Seta etc
16	146/P3	Private	Agriculture	0.0069	Rajeshbhai Mahadevbhai
			TOTAL	2.1576	

[F. No. NHAI/11011/Gujarat/Devbhumi Dwarka/3D]

RAJESH GUPTA, Director